19/2/26 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है।
जिसका निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश पारित
किया गया। पत्रावली बाद तकमील [illegible] नियम के कार्यालय
दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. हुकम चंद लोधा पुत्र श्री गंगाधर आयु 45 साल जाति लोधा निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली
2. प्रभुलाल पुत्र गंगाधर जाति लोधा निवासी झील का हार करौली

–वादीगण

बनाम

1. मदन मोहन जोगी आयु 40 साल
2. लक्ष्मीनारायण जोगी आयु 25 साल
3. धाराजीत जोगी आयु 22 साल
4. अशोक पुत्र प्रभु लाल आयु 40 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
5. गोपाल पुत्र शिवनारायण आयु 27 साल जाति लोधा निवासी झील का हार करौली नदी के पास
6. तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 188 एवं 53 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 51/01

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री भरतसिंह, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।
बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/02/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह		पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकरी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–51/01 तारीख रजु:–15.05.01

उनवान

1. हुकम चंद लोधा पुत्र श्री गंगाधर आयु 45 साल जाति लोधा निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली
2. प्रभुलाल पुत्र गंगाधर जाति लोधा निवासी झील का हार करौली

–वादीगण

बनाम

1. मदन मोहन जोगी आयु 40 साल
2. लक्ष्मीनारायण जोगी आयु 25 साल
3. धाराजीत जोगी आयु 22 साल
4. अशोक पुत्र प्रभु लाल आयु 40 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली
5. गोपाल पुत्र शिवनारायण आयु 27 साल जाति लोधा निवासी झील का हार करौली नदी के पास
6. तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 188 एवं 53 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक:– 19/2/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वांके कस्बा आराजी खसरा नंबर 5664 एवं खसरा नंबर 5666 स्थित है। खसरा नंबर 5664 वाहिद रूप से वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन है। जिसमें वादीगण ने बगीची लगा रखी है जिसमें नीबू, करोंजा, बांस, गूलर, बेर, आदि की बगीची लगा रखी है। उक्त बगीची की सिंचाई चाह खसरा नंबर 5665 से होती है। आराजी खसरा नंबर 5666 के 1/2 के हिस्सेदार वादीगण तथा 1/2 के खातेदारी प्रतिवादी नंबर 4 व 5 है। जिन्होंने हरिकिशन से 1/2 हिस्से की जमीन खरीदी है। खसरा नंबर 5666 वादीगण तथा अशोक एवं गोपाल प्रतिवादी नंबर 4 व 5 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। वादीगण उक्त आराजी का बंटवारा कराने के हकदार है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 ने

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

आज रात्रि दिनांक 13.5.2001 को वादीगण को अपनी वाहिद खातेदारी खसरा नंबर 5664 की बगीची को दवाने की दृष्टि से खसरा नंबर 5664 में पत्थरों की चिनाई करना शुरू कर दिया है। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बगीची को सुखाने की दृष्टि से अनाधिकृत हस्तक्षेप करना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक व हकूक हासिल नही है। अतः वादी प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है कि वादी की वाहिद खातेदारी आराजी खसरा नंबर 5664 में किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत हस्तक्षेप न करें तथा वादी की बगीची की संचाई में कोई रूकावट नहीं डाले। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा वादी खारिज किया जावे। प्रतिवादी नंबर 4, 5, 6 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 9.6.2003 को जबाव दावा बंद किया जा चुका है।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर सरकार पैरोकार को बंटवारा स्कीम हेतु सरकार परौकार को लिखे जाने पर सरकार पैरोकार तहसीलदार (भू.अभि.), करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि कस्बा करौली के खसरसा नंबर 5664, 5665, 5666 में मौके पर अधिकांश भूमि पर आबादी मकानात बने होने व घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण व सरकार पैरो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादीगण द्वारा कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 5666 व 5665 कस्बा करौली का बाई मीट्स एण्ड

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

बाउण्ड वादीगण व प्रतिवादीगण 4 व 5 के बीच कराया जावे। अंत दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण की मकानीयत भिडवा बनी हुई है व वादी स्वंय ही निर्माण किया है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार कस्बा करौली के खसरा नंबर 5664, 5665, 5666 में मौके पर अधिकांश भूमि पर आबादी मकानात बने होने व घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरा नंबरान को कृषि से अकृषि बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के प्लांटिग के रूप में उपयोग–उपभोग में लिया जाना सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट से साबित है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/2/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेम...)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested